रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1990] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 9, 2016/श्रावण 18, 1938
No. 1990] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 9, 2016/SRAVANA 18, 1938

India Code

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2016

का.आ. 2665(अ).—केन्द्रीय सरकार विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत अंतर्विष्ट अपराधों को एतद्द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के रूप में अधिसूचित करती है:-

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962

1. धारा 28, 28कक और 28ककक
2. धारा 74 और 75
3. धारा 111
4. धारा 113
5. धारा 115
6. धारा 124
7. धारा 135
8. धारा 104

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944

9. धारा 9

10. धारा 9कक

11. धारा 11, 11क और 11कक

वित्त अधिनियम, 1994

12. धारा 73, 73क, 73ख और 75

13. धारा 76

14. धारा 89

15. धारा 91

[फा. सं. सी.1/1/2009-एसईजेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी,अपर सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2016

S.O. 2665(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) (hereinafter referred as the Act), the Central Government hereby, notifies the offences contained in the under-mentioned sections of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and the Finance Act, 1994 (32 of 1994) as offences under the Act:-

The Customs Act, 1962	
1.	Section 28, 28AA and 28AAA
2.	Section 74 and 75
3.	Section 111
4.	Section 113
5.	Section 115
6.	Section 124
7.	Section 135
8.	Section 104

The Central Excise Act, 1944	
9.	Section 9
10.	Section 9AA
11.	Section 11, 11A and 11AA
The Finance Act, 1994	
12.	Section 73, 73A, 73B and 75
13.	Section 76
14.	Section 89
15.	Section 91

[F. No. C.1/1/2009-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2016

का.आ. 2666(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 21 की उप-धारा (2) और धारा 22 के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन में किसी अधिसूचित अपराध अथवा किए गए अथवा किए जाने के लिए सम्भावित अपराधों के संबंध में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत अपराधों के लिए अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1944 (1944 का 1) और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के तहत अपराधों के लिए अपर महानिदेशक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय को एतद्द्वारा प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में प्राधिकृत करती है। यह प्रवर्तन अधिकारी लिखित में दर्ज कराए गए कारणों के लिए, विशेष आर्थिक जोन अथवा इकाई में अन्वेषण, निरीक्षण, तलाश अथवा अभिग्रहण कर सकते हैं और वह तुरंत और किसी भी मामले में कार्रवाई के आरंभ किए जाने के सात दिन अपश्चात वाणिज्य विभाग में विशेष आर्थिक जोन प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव को अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (3) के अंतर्गत आरंभ की गई किसी कार्रवाई के विवरण की संसूचित देगा।

[फा. सं. सी.1/1/2009-एसईजेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2016

S.O. 2666(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 21 and second proviso to section 22 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) (hereinafter referred as the Act), the Central Government hereby authorises the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence for offences under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the Additional Director General, Directorate General of Central Excise

Intelligence for offences under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and the Finance Act, 1994 (32 of 1994) to be the enforcement officer(s) in respect of any notified offence or offences committed or likely to be committed in a Special Economic Zone. The enforcement officer(s), for the reasons to be recorded in writing, may carry out the investigation, inspection, search or seizure in the Special Economic Zone or Unit and shall intimate the details of any action initiated under sub-section (3) of section 21 of the Act to the Joint Secretary in charge of Special Economic Zones Division in the Department of Commerce immediately and in any case not later than seven days of initiation of any action.

[F. No. C.1/1/2009-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2016

का.आ. 2667(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन अपराधों के लिए अधिकारिता वाले सीमाशुल्क आयुक्त और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) तथा वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) और अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित अपराधों के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को संबंधित विकास आयुक्त को पूर्व सूचना देते हुए लिखित में दर्ज किए गए कारणों के लिए विशेष आर्थिक जोन या इकाई में अन्वेषण, निरीक्षण, तलाश या अभिग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. सी.1/1/2009-एसईजेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2016

S.O. 2667(E).—In exercise of the powers conferred by section 22 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) (hereinafter referred as the Act), the Central Government authorises the jurisdictional Customs Commissioner, in respect of offences under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and Commissioner of Central Excise in respect of offences under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and the Finance Act, 1994 (32 of 1994) and notified under the Act, for the reasons to be recorded in writing, to carry out the investigation, inspection, search or seizure in a Special Economic Zone or Unit with prior intimation to the Development Commissioner, concerned.

[F. No. C.1/1/2009-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri. New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.